मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा टौंस नदी 3/12, ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु दिनांक 02.05.2025 (प्रातः 11.00 बजे), स्थान परियोजना स्थल पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा टौंस नदी 3/12 (क्षेत्रफल–13.30 हे0) में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून की अध्यक्षता में ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 11.00 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा टौंस नदी 3/12 में लघु खनिजों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) एवं हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) के दिनांक 30.03.2025 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आक्षेप मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिसे संकलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी।

मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मै0 पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार विश्वास द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 13.30 हे0 है, जो कि ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 को लीज पर दिया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु खनिजों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु खनिजों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि तीन मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री राजेश कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री अर्जुन कुमार (पूर्व प्रधान), झाझरा, देहरादून** द्वारा प्रश्न किया गया कि खसरा नं–1166 के किस भाग को खनन के लिये लिया गया है। खसरा संख्या–1166 में 34.045 हे0 है, इनमें किन–किन खाता नं0 पर खनन किया जाना है व वृक्षारोपण का कार्य कहां किया जायेगा। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा संख्या–1164 में कई खातेदार हैं। श्री अर्जुन द्वारा सुझाव दिया गया कि खाते का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाये। अन्यथा की दशा में सहखातेदारों द्वारा आपत्ति की जा सकती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन पट्टाधारक ग्रामवासियों के सुझावों के अनुसार क्षेत्र में विकास कार्य किये जाये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत झाझरा में इंटर कॉलेज नहीं है, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जगह हाईस्कूल में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाये।

2. **श्रीमती पिंकी देवी, ग्राम प्रधान, झाझरा, देहरादून** द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को खनन सामाग्री क्रय में छूट दी जाये एवं वृक्षारोपण हेतु जगह का चयन ग्राम सभा के जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किया जाये।

3. **श्री रमेश कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य, झाझरा, देहरादून** द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा या नहीं? खनन से स्थानीय लोगों की आर्थिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त खनन पट्टे से ग्राम पंचायत को क्या लाभ होगा, यह भी स्पष्ट किया जाये। उक्त क्रम में अध्यक्ष/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावक से कहा गया कि स्थानीय लोगों को कौशल विकास कार्यों हेतु प्रशिक्षित करने में सहयोग किया जाये, महिला समूहों को सिलाई, कढाई आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाये।

4. **श्री रवि चौहान, निवासी झाझरा, देहरादून** द्वारा सुझाव दिया गया कि झाझरा गांव में स्थानीय युवाओं के लिये जिम आदि की व्यवस्था की जाये।

5. **श्री जॉय बर्थवाल, निवासी झाझरा, देहरादून** के द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्राम पंचायत झाझरा में खेल मैदान नहीं है। प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र में खेल मैदान के विकास में सहयोग किया जाये तथा स्थानीय युवाओं कौशल विकास कार्यों में प्रशिक्षित किया जाये।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि भूमि को कटाव से बचाने हेतु वृक्षारोपण किया जायेगा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग

विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो
2. डी0वी0डी0/पैन ड्राइव
3. उपस्थिति पंजिका

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)
देहरादून

Date ....

Page ....

मै० कैलाश रीवर बेड मिनरल्स एल०एल०पी० द्वारा ग्राम झाझरा तहसील विकासनगर देहरादून द्वारा सौंग नदी तल में खनन हेतु लोक सुनवाई - आज दिनांक ४/५/२०२५ आहूत की उपस्थिति

क्रम सं०	नाम	पदनाम/गांव का नाम	मो० न०	हस्ताक्षर
1	जय भारत सिंह	ADM(E) Dehradun		[signature]
2	एस० एस० चौहान	सहायक वैज्ञानिक अधि० यू०के०पी०सी०बी० देहरादून	9719034507	[signature]
3				
4	राजेश कुमार विश्वास	पी एण्ड एम सल्यूशन (नोएडा उ०प्र०) पर्यावरण सलाहकार		राजेश
5	अर्जुन कुमार	पूर्व प्रधान झाझरा	9997028155	
6	पिंकी देवी	प्रधान झाझरा	7668182899	
7	इन्द्रपाल सिंह (पत्रकार)	आदूवाला स्वदेश न्यूज चैनल	8630412183	
8	रमेश कुमार सैनी	क्षेत्र पंचायत सदस्य (आदूवाला)	7500500787	
9	मोहन सिंह	-	9759647747	
10	कमल सिंह	-	7895440247	
11	अजय सिंह	झाझरा	9770539468	
12	विशाल सिंह	झाझरा	9340230766	
13	मनीष कुमार	झाझरा	7852836260	

Date ....

Page ....

14	ब्रजकिशोर शर्मा	झाझरा	9610321019
15	राकेश कुमार (पिन्टू)	सुद्धोवाला	9997031822
16	ओमेन्द्र हसन	राजकीय सहसपुर	9837722299
17	आनन्द सिंह रावत	RSB - झाझरा	9761710116
18	[illegible]	सुद्धोवाला	7900710775
19	Sanjay Kumar	[illegible]	~~87552-7651~~
20	ADESH KUMAR	~~[illegible]~~	8755845555
21	Rohit		9557910822
22	Ravi chahar	झाझरा	7351086794
23	Shailesh Kumar	Jhajra	875527390
24	राजेश		7351313291
25	[illegible]	झाझरा	9557267168
26	[illegible]	सुद्धोवाला	9760378527
27	[illegible]	कान्हा कि चौकी	7060726696
28	बबिता	"	9634342714
29	सागर ठाकुर	~~999~~ झाझरा	~~999~~ 9520848883
30	Ayush Barswal	Jhajra	952826019
31.	Joy Barswal	"	7251935144
32	[illegible]	झाझरा	———
33	Shivendra Singh	झाझरा	
34	Happy barswal	JHAJRA	8334780716
35	Arpit Paul	"	9634270430
36-	Shakti [illegible] Jhajra	—	7300620604
37-	Ashish	"	7830631028
38-	Usman Khan Jhajra	"	998203165
39	[illegible]	सहसपुर	
40	Anugrah Paul Jhajra		9105694266
41	Ajay Dhami Jhajra	"	8755927921